भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 470

दिनांक 23 जुलाई, 2025 को उत्तर के लिए

महिलाओं के प्रति अपराध

470. श्री नीरज डांगी :

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले पांच वर्षों में महिलाओं के प्रति अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान महिलाओं के प्रति अपराधों में वृद्धि के कारणों में घरेलू हिंसा, बलात्कार, यौन उत्पीड़न, दहेज हत्या शामिल हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध का मुख्य कारण कमजोर कानूनी प्रक्रिया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इन अपराधों में कमी करने और कठोर कानून बनाने के लिए प्रयास कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ): "पुलिस" और "कानून व्यवस्था" भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं। कानून और व्यवस्था को बनाए रखने तथा महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध की जांच एवं अभियोजन, नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्राथमिक रूप से संबंधित राज्य सरकारों की है; वे इस तरह के अपराधों से निपटने में कानूनी रूप से सक्षम हैं।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपने प्रकाशन "भारत में अपराध" में अपराधों पर सांख्यिकीय आंकड़ो को संकलित और प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2022 से संबंधित है और इसकी वेबसाइट https://ncrb.gov.in/en/crime-india पर उपलब्ध है। एनसीआरबी द्वारा रिपोर्ट के अनुसार, 2018-2022 के दौरान महिलाओं के विरुद्ध अपराध के तहत पंजीकृत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार मामलों के आंकड़े अनुलग्नक- I में दिए गए हैं और 2018-2022 के दौरान महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के तहत दर्ज अपराध शीर्ष-वार मामलें अनुलग्नक- II में दिए गए हैं। अन्य कारणों के अलावा, अपराध की बढ़ती रिपोर्टिंग पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों के कारण नागरिकों में जागरूकता के बढ़ते स्तर के कारण हो सकती है, जिसमें महिला हेल्पलाइन-181, चाइल्ड हेल्पलाइन-1098 और आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस-112) जैसी हेल्पलाइनों का संचालन, जीरो एफआईआर और ई-एफआईआर की अवधारणा और पीड़ितों को संस्थागत सहायता का प्रावधान शामिल है। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। हाल के कुछ कानून एवं नीतियां जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करती हैं, इस प्रकार हैं:

i. भारत सरकार ने आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने एवं सुधार करने के उद्देश्य से भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसस) और भारतीय सुरक्षा अधिनियम (बीएसए) को अधिनियमित किया है जो 1 जुलाई, 2024 से लागू हुआ। बीएनएस 2023 में, महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों जो पहले भारतीय दंड संहिता, 1860 में अलग –अलग दर्शित थे, को अब बीएनएसके अध्याय-V के तहत एक साथ लाया गया और समेकित किया गया है। बीएनएस में महिलाओं और बच्चों से संबंधित कानूनों को मजबूत करने के लिए नए प्रावधान किए गए हैं, विशेष रूप से, "संगठित अपराध" से संबंधित धारा 111, विवाह, रोजगार, पदोन्नति का झूठा वादा या पहचान को दबाकर यौन संभोग से संबंधित धारा 69, अपराध करने के लिए बच्चे को भाड़े पर लेने, काम पर रखने या उससे अपराध कराने से संबंधित धारा 95। वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए बच्चे को खरीदने (धारा 99), सामूहिक बलात्कार (धारा 70) और मानव दुर्व्यापार के शिकार व्यक्ति के शोषण (धारा 144) से संबंधित अपराधों के संबंध में सजा बढ़ा दी गई है। इसके अतिरिक्त, महिलाओं के प्रति कतिपय गंभीर अपराधों जैसे वेश्यावृत्ति के प्रयोजनार्थ बच्चा खरीदना (बीएनएस की धारा 99), संगठित अपराध (धारा 111), भीख मांगने के उद्देश्य से बच्चे का अपहरण अथवा अपंग करना (धारा 139) के

संबंध में न्यूनतम दण्ड अनिवार्य रूप से निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा, बीएनएस 2023 की धारा 75 और 79 उत्पीड़न के विरुद्ध अतिरिक्त कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है, जिसमें अशोभनीय यौन संकेत , यौन संबंध के लिए अनुरोध, यौन से संबंधित टिप्पणियां और एक महिला की शालीनता का अपमान करने के इरादे से शब्द, इशारा या कृत्य जैसे कार्य शामिल हैं। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना करने वाली महिला के पास इन प्रावधानों के तहत शिकायत दर्ज करने का विकल्प है।

ii. इसके अतिरिक्त, धारा 398 बीएनएसएस के प्रावधानों में गवाहों को खतरों और धमकी से बचाने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को स्वीकार करते हुए गवाह संरक्षण योजनाएं शुरू की गई हैं एवं बीएसए की धारा 2(1)(घ) में अब ईमेल पर उपलब्ध इलेक्ट्रोनिक या डिजिटल रिकोर्ड, कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन पर उपलब्ध दस्तावेजों, और डिजिटल उपकरणों में संदेशों तथा संग्रहित वॉयस मेल संदेशों को दस्तावेजों की परिभाषा के तहत कार्यस्थल पर उत्पीड़न से महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रस्तुत करने की व्यवस्था की गई है।

iii. इसके अतिरिक्त, श्रम संहिताओं में कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को सम्मानजनक तरीके से बढ़ावा देने एवं नियोक्ताओं द्वारा पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जाने के प्रावधान सामूहिक रूप से शामिल हैं। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के विशिष्ट प्रावधानों के साथ श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा काम करने की स्थिति को विनियमित करने वाले कानूनों को समेकित एवं संशोधित किया गया है।

iv. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने हाल में 'कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण,प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013' (एसएचअधिनियम) के विभिन्न प्रावधानों को शामिल करते हुए शी –बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल देश भर में गठित आंतरिक समितियों (आईसी) और स्थानीय समितियों (एलसी) से संबंधित सूचनाएं सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने वाला केंद्रीकृत भंडार है, चाहे वह सरकारी हो या निजी क्षेत्र। यह शिकायतें दर्ज करने एवं इन शिकायतों की स्थिति को ट्रैक करने का एक साझा मंच भी प्रदान करता है। इस पोर्टल में एक ऐसी सुविधा है जिसमें इस पर पंजीकृत शिकायतों को केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों एवं निजी क्षेत्र के भीतर संबंधित कार्यस्थलों के आईसी/एलसी को स्वचालित रूप से अग्रेषित कर दी जाएंगी। इस पोर्टल में प्रत्येक कार्यस्थल के लिए एक नोडल अधिकारी नामित करने का प्रावधान है, जिसे शिकायतों की तात्कालिक निगरानी के

लिए नियमित आधार पर आंकड़ों/सूचनाओं को अद्यतन करना सुनिश्चित करना होता है ।

v. निर्भया कोष के अंतर्गत, सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा में सुधार के लिए अनेक उपाय किए हैं:

क. मिशन शक्ति व्यापक योजना का वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) घटक, जो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है, 1 अप्रैल, 2015 से पूरे देश में कार्यान्वित किया गया है। यह हिंसा से प्रभावित महिलाओं और निजी एवं सार्वजनिक दोनों जगहों पर संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही छत के नीचे एकीकृत सहायता और समर्थन प्रदान करता है । यह जरूरतमंद महिलाओं को चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और सलाह, अस्थायी आश्रय, पुलिस सहायता, मनोवैज्ञानिक-सामाजिक परामर्श सहित सेवाओं की एक एकीकृत श्रृंखला भी प्रदान करता है। देश भर में 843 ओएससी कार्यरत हैं और 31 मार्च, 2025 तक 11.19 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है।

ख. यह सुनिश्चित करने के लिए कि पुलिस स्टेशन महिलाओं के लिए अधिक अनुकूल और सुलभ हों, क्योंकि वे पुलिस स्टेशन में आने वाली किसी भी महिला के लिए संपर्क का पहला और एकमात्र बिंदु होते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए 14,658 महिला सहायता डेस्क (डब्ल्यूएचडी) स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 13,743 का नेतृत्व महिला पुलिस अधिकारी कर रही हैं।

ग. जरूरतमंद महिलाओं तथा संकटग्रस्त महिलाओं को सहायता एवं सहयोग प्रदान करने के लिए सभी 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस-112) स्थापित की गई है जिसमें विभिन्न आपात स्थितियों के लिए क्षेत्र/पुलिस संसाधनों के कंप्यूटर की सहायता प्राप्त प्रेषण है । इसके शुरुआत होने के बाद से अब तक 43 करोड़ से ज़्यादा कॉल का निपटान किया जा चुका हैं। ईआरएसएस के अलावा, पश्चिम बंगाल को छोड़कर 35 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में पूरी तरह से काम करने वाली समर्पित महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल -181) कार्यशील है। डब्ल्यूएचएल को भी ईआरएसएस के साथ एकीकृत किया गया है। अब तक, महिला हेल्पलाइन ने 2.30 करोड़ से ज़्यादा कॉल हैंडल की हैं और 88.24 लाख से ज़्यादा महिलाओं की मदद की है।

घ. जहां महिलाएं कार्य करती हैं एवं रहती हैं उन सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न घटकों के तहत सुरक्षित शहर परियोजनाओं को 8 शहरों (अर्थात अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई) में कार्यान्वित किए गए हैं। महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करने के लिए, रेल और सड़क परिवहन परियोजनाएं जैसे रेल मंत्रालय द्वारा एकीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रबंधन प्रणाली (आईईआरएमएस), कोंकण रेलवे में वीडियो निगरानी प्रणाली, 7 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर वीडियो निगरानी प्रणाली के साथ एकीकृत कमांड-एंड-कंट्रोल सेंटर सहित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित चेहरे की पहचान प्रणाली (एफआरएस), और ट्रेन में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए टैब और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कमांड और नियंत्रण केंद्र के साथ वाहन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म जैसी परियोजनाएं तथा उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी), बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (बीएमटीसी), तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (टीएसआरटीसी), इत्यादि जैसी कुछ राज्य विशिष्ट परियोजनाएं लागू की गई हैं।

vi. पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआर एंड डी) ने भी कई पहलें की हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ जांच अधिकारियों,अभियोजन अधिकारियों एवं चिकित्सा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण तथा कौशल विकास कार्यक्रम शामिल हैं। बीपीआर एंड डी ने 'पुलिस स्टेशनों में स्थापित महिला सहायता डेस्क को सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) भी तैयार की हैं। महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध की रोकथाम तथा पता लगाने एवं अपराध पीड़ितों के साथ बातचीत के दौरान पुलिस के उपयुक्त व्यवहार और अभिवृति संबंधी कौशलों पर बल दिया गया है। बीपीआर एंड डी द्वारा संवेदनशीलता, पुलिस कर्मियों की लैंगिक संवेदनशीलता इत्यादि पर वेबिनार भी आयोजित किए गए हैं।

vii. इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मिशन शक्ति के तहत योजना "सामर्थ्य" भी संचालित करता है, जिसमें शक्ति सदन घटक कठिन परिस्थितियों में महिलाओं की राहत और पुनर्वास के लिए है।

viii. सरकार, राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) जैसी संस्थाओं एवं राज्यों में उनके जैसी संस्थानों के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के बारे में लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए सेमिनारों, कार्यशालाओं, दृश्य-श्रव्य, प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इत्यादि के माध्यम से जागरूकता फैला रही है ताकि लोगों को महिलाओं की सुरक्षा एवं कानून के विभिन्न प्रावधानों तथा नीतियों इत्यादि के बारे में

भी संवेदनशील बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर एडवाइजरी जारी की हैं। पंजीकृत शिकायतों के संबंध में, राष्ट्रीय महिला आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए की शिकायतों का निवारण किया जाये और उन्हें तर्कसंगत निष्कर्ष तक पहुंचाया जाये, मामले को स्टेकहोल्डरों, विशेष रूप से पुलिस प्राधिकारियों के साथ उठाता है ।

ix. मंत्रालय ने दिनांक 22 जनवरी, 2025 को सभी कार्यात्मक सुविधाओं के साथ 'मिशन शक्ति पोर्टल' शुरू किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य महिलाओं के लिए विभिन्न सरकारी सेवाओं में पहुंच बढ़ाना, बचाव, सुरक्षा और पुनर्वास के लिए गुणवत्ता तंत्र स्थापित करना एवं विभिन्न योजनाओं और कानूनों के तहत पदाधिकारियों और कर्तव्य धारकों की क्षमता का निर्माण करना है।

*****

अनुलग्नक-I

वर्ष 2018-2022 के दौरान महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार दर्ज मामले

क्र	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018	2019	2020	2021	2022
1	आंध्र प्रदेश	16438	17746	17089	17752	25503
2	अरुणाचल प्रदेश	368	317	281	366	335
3	असम	27687	30025	26352	29046	14148
4	बिहार	16920	18587	15359	17950	20222
5	छत्तीसगढ़	8587	7689	7385	7344	8693
6	गोवा	362	329	219	224	273
7	गुजरात	8329	8799	8028	7348	7731
8	हरियाणा	14326	14683	13000	16658	16743
9	हिमाचल प्रदेश	1633	1636	1614	1599	1551
10	झारखंड	7083	8760	7630	8110	7678
11	कर्नाटक	13514	13828	12680	14468	17813
12	केरल	10461	11462	10139	13539	15213
13	मध्य प्रदेश	28942	27560	25640	30673	32765
14	महाराष्ट्र	35497	37144	31954	39526	45331
15	मणिपुर	271	266	247	302	248
16	मेघालय	571	558	568	685	690
17	मिजोरम	249	170	172	176	147
18	नागालैंड	75	43	39	54	49
19	ओडिशा	20274	23183	25489	31352	23648
20	पंजाब	5302	5886	4838	5662	5572
21	राजस्थान	27866	41550	34535	40738	45058
22	सिक्किम	172	125	140	130	179
23	तमिलनाडु	5822	5934	6630	8501	9207
24	तेलंगाना	16027	18394	17791	20865	22066
25	त्रिपुरा	907	1070	874	807	752
26	उत्तर प्रदेश	59445	59853	49385	56083	65743
27	उत्तराखंड	2817	2541	2846	3431	4337
28	पश्चिम बंगाल	30394	29859	36439	35884	34738
	कुल (राज्य)	**360339**	**387997**	**357363**	**409273**	**426433**
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	147	135	143	169	178
30	चंडीगढ़	442	515	301	343	325
31	डी एंड एन हवेली और दमन एवं दीव+	54	82	61	99	126
32	दिल्ली	13640	13395	10093	14277	14247
33	जम्मू और कश्मीर*	3437	3069	3405	3937	3716
34	लद्दाख	-	-	9	18	15
35	लक्षद्वीप	11	38	15	9	16

36	पुदुचेरी	166	95	113	153	200
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	**17897**	**17329**	**14140**	**19005**	**18823**
	कुल (भारत)	**378236**	**405326**	**371503**	**428278**	**445256**

अनुलग्नक-II

वर्ष 2018-2022 के दौरान महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के अंतर्गत दर्ज शीर्षवार अपराध मामलें

क्र	प्रमुख अपराध	2018	2019	2020	2021	2022
1	बलात्कार/सामूहिक बलात्कार के साथ हत्या	294	284	219	284	248
2	दहेज मृत्यु	7167	7141	6966	6753	6450
3	महिलाओं को आत्महत्या के लिए उकसाना	5037	5008	5040	5292	4963
4	गर्भपात	213	238	239	196	236
5	एसिड अटैक	131	150	105	102	124
6	एसिड हमले का प्रयास	37	46	33	48	38
7	पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता	103272	124934	111549	136234	140019
8	महिलाओं का अपहरण और व्यपहरण	72709	72681	62300	75369	85310
9	मानव दुर्व्यापार	854	960	646	914	781
10	नाबालिग लड़कियों की बिक्री	40	20	12	12	8
11	नाबालिग लड़कियों की खरीद-फरोख्त	8	8	1	2	3
12	बलात्कार	33356	32032	28046	31677	31516
13	बलात्कार का प्रयास	4097	3941	3741	3800	3288
14	महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुँचाने के इरादे से उन पर हमला	89097	88259	85392	89200	83344
15	महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाना	6992	6937	7065	7788	8972
क	**महिलाओं के विरुद्ध कुल आईपीसी अपराध**	**323304**	**342639**	**311354**	**357671**	**365300**
16	दहेज निषेध अधिनियम	12826	13307	10366	13568	13479
17	अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम	1459	1179	868	1071	946
18	घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम	579	553	446	507	468
19	साइबर अपराध/सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम	1244	1635	2334	2597	2940
20	यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम	38802	45989	46123	52836	62095
21	स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम	22	24	12	28	28
ख	**महिलाओं के विरुद्ध कुल एसएलएल अपराध**	**54932**	**62687**	**60149**	**70607**	**79956**
	महिलाओं के विरुद्ध कुल अपराध	**378236**	**405326**	**371503**	**428278**	**445256**

स्रोत: भारत में अपराध

नोट: '+' पूर्ववर्ती संघ राज्य क्षेत्र दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव का 2018 और 2019 के संयुक्त आंकड़े
'*' 2018 एवं 2019 का लद्दाख सहित पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य का आंकड़ा

****